<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 116/2023

1 नानड़ पुत्र हरनारायण
2 बिसनाराम पुत्र धूड़ाराम
3 दिवान पुत्र धूड़ाराम
4 मथरूलाल पुत्र धूड़ाराम
5 विनोद पुत्र धूड़ाराम
6 प्रमोद पुत्र धूड़ाराम
7 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी धूड़ाराम
8 मीरा पुत्री धूड़ाराम
समस्त जाति अहीर निवासीगण बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र फूलाराम
2 रामेश्वर पुत्र फूलाराम
3 सुरेश पुत्र रमसु
4 बाबूलाल पुत्र रमसु
5 राजेश पुत्र रमसु
6 मुकेश पुत्र रमसु
7 सरोज पुत्री रमसु
8 बिमला पुत्री रमसु
9 सुमन पुत्री रमसु
10 फूली देवी पत्नी रमसु
11 महेश कुमार पुत्र जगदीश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12 लालसिंह पुत्र जगदीश
13 चन्द्रपति पत्नी जगदीश
14 राजवीर पुत्र हजारीलाल
15 तारावती देवी पत्नी हजारी लाल
समस्त जाति अहीर, निवासीगण बहलवान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
16 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक
17 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी जरिये शाखा प्रबधंक
18 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 अपील खिलाफ प्राथमिक निर्णय व डिक्री बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनू दावा उनवानी रामस्वरूप बनाम बिसनाराम आदि, दावा बाबत घोषणा व विभाजन मु.नं. 23/2022 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.08.2023

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरीया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3

—निर्णय—

दिनांकः— 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रामस्वरूप व रामेश्वर की ओर से ग्राम बहलवान नगर की भूमि खसरा नम्बर 191, 687/191, 140, 186, 706/141, 113, 115, 134, 135, 138, 139, 703/141 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में अपीलान्ट संख्या 5 की ओर से आदेश 09 नियम 07 आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आदेश 09 नियम 07 का आवेदन खारिज कर वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को आदेशिका में अंकित है कि वादीगण की ओर से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब कर आज की पेशी में ली गई। वादीगण की ओर से श्री हवासिंह निर्वाण अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। सम्मन तलवाना पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 7, 11, 12, 22, 23 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी हो मिसल वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 7,11,12, 22, 23 दिनांक 11.08.2023 को पेश हो। दिनांक 11.08.2023 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 7, 11, 12, 22, 23 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई इसी दिन प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से आदेश 09 नियम 07 का आवेदन पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने इसी दिन आदेश 09 नियम 07 का आवेदन खारिज कर विचाराधीन निर्णय से वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रेवेन्यू कॉर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की

पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने वादीगण की कोई साक्ष्य प्राप्त किए बिना सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील के उपरांत उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 07 विधि अनुसार सुनवाई के उपरांत खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को आदेशिका में अंकित है कि वादीगण की ओर से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब कर आज की पेशी में ली गई। वादीगण की ओर से श्री हवासिंह निर्वाण अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। सम्मन तलवाना पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 7, 11, 12, 22, 23 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी हो मिसल वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 7,11,12, 22, 23 दिनांक 11.08.2023 को पेश हो। दिनांक 11.08.2023 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 7, 11, 12, 22, 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई इसी दिन प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से आदेश 09 नियम 07 का आवेदन पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने इसी दिन आदेश 09 नियम 07 का आवेदन खारिज कर विचाराधीन निर्णय से वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रेवेन्यू कॉर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5

पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने वादीगण की कोई साक्ष्य प्राप्त किए बिना सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर